Form No. 5
The Debts Recovery Tribunal
(9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P.)
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

No. ..... Date: 06-02-2023

(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and financial institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993).

Original Application No. 875 of 2022

STATE BANK OF INDIA .....Applicant Bank

Versus

1. M/s Puspha Shoe Factory, a sole proprietorship firm having its place of business Registered office at 6/ 1, Malviya Kunj, Loha Mandi, Agra-282002.

and

Factory No. 53, Transport Nagar, Agra-282002, through its proprietor Mrs. Pushpa Gumani W/o Vikram Jeet Singh, 6/1 Malviya Kunj, Loha Mandi, Agra-282002.

2. Mrs Pushpa Gumani w/o Vikram Jeet Singh, 8/7 HIG ADA Flats, Sanjay Places, Agre- 282002.

and

Mrs. Pushpa Gumani w/o Vikram Jeel Singh, 40/102 Malviya Kunj, Loha Mandi Agra-282002 .....Defendants

In the above noted application, **Defendants** required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **03-04-2023 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Allahabad

Form No. 5
The Debts Recovery Tribunal
(9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P.)
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

No. ..... Date: 06-02-2023

(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and financial institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993).

Original Application No. 879 of 2022

STATE BANK OF INDIA .....Applicant Bank

Versus

1. Mrs. Lata Devi W/o Mr. Sbankar Lal, R/o 20/141A, Yamuna Kinara, Motiganj, Agra-282004

2. Mr. Shankar Lal S/o Sri Asuda Mal, R/o 20/141A, Yamuna Kinara, Motiganj, Agra-282004 .....Defendants

In the above noted application, **Defendants** required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **03-04-2023 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Allahabad

Form No. 5
The Debts Recovery Tribunal
(9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad-211002, U.P.)
(Areas of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)
Summons for filing Reply & Appearance by publication

No. ..... Date: 06-02-2023

(Summons to Defendant under Section 19(3) of the Recovery of Debts due to Banks and financial institution Act, 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993).

Original Application No. 931 of 2022

STATE BANK OF INDIA .....Applicant Bank

Versus

1. Mr. Shankar Lal S/ o Sri Aauda Mal, R/o 20/141A, Yamuna Kinara, Motiganj, Agra-282004

2. Mrs. Lata Devi W/o Mr. Sbankar Lal, R/o 20/141A, Yamuna Kinara, Motiganj, Agra-282004 .....Defendants

In the above noted application, **Defendants** required to file reply in Paper Book form in two sets alongwith documents and affidavits (if any) personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this Tribunal, after serving copy of the same on the Applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of summons, and thereafter to appear before the Tribunal on **29-03-2023 at 10.30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar
Debts Recovery Tribunal, Allahabad

FORM NO. V
Debts Recovery Tribunal, Lucknow
600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007
(Area of jurisdiction part of Uttar Pradesh)
SUMMONS FOR FILING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

O.A. NO. 1107 / 2022 **Dated: 13/02/2023**

[Summons to Defendants under Section 19(3) of the Recovery of debts due to Banks and Financial Institution Act 1993 read with Rules 12 and 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules 1993)]

INDIAN BANK (ERSTWHILE ALLAHABAD BANK) **... Applicant**

VS

MR. KABIR AND OTHERS **...Defendants**

To,

VERSUS

1. MR. KABIR S/O MR. PREM CHAND
FLAT NO. 321, GROUND FLOOR GYAN KHAND-II, INDIRAPURAM, GHAZIABAD.

2. R.S.R HOUSING AND CONSTRUCTION PVT. (LTD)
S-6, ASHIRWA COMPLEX, 162, ZONE-I, M.P. NAGAR, BHOPAL

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in two sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in this tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel / duly authorized agent after publication of the summons, and thereafter to appear before the tribunal on **14/08/2023 at 10:30 A.M.** failing which the applicant shall be heard and decided in your absence.

Registrar,
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)

जोन–दिल्ली जोन–I, सिद्धार्थ एन्क्लेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली–110014

शुद्धि–पत्र

यह शुद्धिपत्र इस समाचार पत्र **जनसत्ता** में दिनांक 12.02.2023 को प्रकाशित **अचल सम्पत्तियों के बिक्री** हेतु सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में है, जिसमें **क्रम सं. 6** में खाता **श्रीमती प्रियंका** के सम्पत्ति के विवरण को पूर्ण रूप से **''स्टिल्ट पार्किंग में एक छोटा कार पार्क करने का अधिकार''** को मिला कर पढ़ें। तथा **क्रम सं. 7,** खाता **श्रीमती कुमारी श्वेता सिंह एवं श्री विशाल सिंह** में सुरक्षित मूल्य रु.16,33,000/– के स्थान पर **रु.16,37,000/–** पढ़ें, इसी प्रकार ईएमडी राशि रु. 1,63,300/– के स्थान पर **रु. 1,63,700/–** पढ़ें।
अन्य सभी विवरण यथावत रहेंगी।

दिनांकः 13.02.2023 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली पंजाब एण्ड सिंध बैंक

SKYLINE INDIA LIMITED
Reg. Office: 1E/4, Jhandewalan Extension, New Delhi- 110055
CIN: U51909DL1996PLC075875 Email: skylineindia96@gmail.com,
Phone +91-11-23541110, Website: www.skylineindia.co.in

Statement of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022
(Amount Rs. In lacs)

Particular	Quarter Ended		Year Ended
	31.12.2022 Un-Audited	31.12.2021 Un-Audited	31.03.2022 Audited
Total income from operations (net)	5.80	5.77	33.58
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(17.41)	(17.29)	(39.63)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	(17.41)	(17.29)	(39.63)
Paid-up Equity Share Capital	425.91	425.91	425.91
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted [in Rupees]	(0.41)	(0.41)	(0.93)
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each): Basic & Diluted[in Rupees]	(0.41)	(0.41)	(0.93)

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites; www.msei.in **(2)** The aforesaid financial result have been arrived by the Board of Directors in its Board meeting held on 13.02.2023.

For SKYLINE INDIA LIMITED
Sd/-
Place: New Delhi Rajesh Kumar Sanghi
Date: 13.02.2023 Managing Director

दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
सी–29, कम्युनिटी सेन्टर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058
फोन : 011–25611041, 25611042, 25611043, 25611044
ई–मेल: legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com वेबसाईट: www.kangrabank.com

परिशिष्ट IV
(नियम 8(1) देखें)

कब्जा–सूचना
संपत्ति हेतु)

चूंकि, अधोहस्ताक्षरी ''दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड'', प्रधान कार्यालय, सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, जिसका पंजीकृत कार्यालय 1916, चूनामंडी,पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055 है, के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002, (2002 के 54) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम [3] के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ने दिनांक 16.08.2022 को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता **श्री कामदेव सिंह पुत्र श्री नागेश्वर सिंह, निवासी सी–460, गली नंबर 20, भजनपुरा, दिल्ली–110053 और बन्धनकर्ता एवं ज़मानतदार श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कामदेव सिंह, निवासी सी–460, गली नंबर 20, भजनपुरा, दिल्ली–110053** से नोटिस में उल्लिखित राशि ₹18,65,952/– (अठारह लाख पैंसठ हजार नौ सौ बावन मात्र),और नोटिस की तारीख से भुगतान की तारीख तक इसके साथ समय–समय पर इस ऋण खाते पर लागू होने वाले ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान,इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। उपरोक्त निर्दिष्ट उधारकर्ता, बन्धनकर्ता और ज़मानतदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, उधारकर्ता, बन्धनकर्ता और ज़मानतदार और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13 की उप–धारा (4) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियमन [8] के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10 फरवरी, 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति प्रतीकात्मक कब्जा प्राप्त कर लिया है।

उधारकर्ता, बन्धनकर्ता और ज़मानतदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि गिरवी रखी गई संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर ''दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड'' द्वारा ₹18,65,952/–की राशि के साथ उस पर अतिरिक्त ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क जो समय–समय पर इस ऋण खाते पर लागू होते हैं, नोटिस की तारीख से वसूली की तारीख तक, बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों के साथ उक्त राशि की वसूली का विषय होगा। उधारकर्ता, बन्धनकर्ता और ज़मानतदार का ध्यान नीचे उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्तिध्प्रतिभूति संपत्ति के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

विचाराधीन संपत्ति के अंतर्गत निर्मित संपत्ति, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज है।	**संपत्ति संख्या सी–460 के साथ 60 वर्ग गज में निर्मित संपत्ति के सभी भाग और अंश, खसरा संख्या 343 का निर्माण भाग, गांव घोंडा गुजरान खादर, गली नंबर 20 की आबादी, भजनपुरा, दिल्ली, उस पर निर्मित निर्माण के साथ, अंतिम मंजिल तक अधिकारों के साथ, और चौहद्दी : पूर्व में : अन्य की संपत्ति, पश्चिम में :15 फीट चौड़ी गली, उत्तरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिणः दूसरों की संपत्ति। सब–रजिस्ट्रार चतुर्थ सीलमपुर, दिल्ली के पंजीकरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है।**

निम्नलिखित रूप में परिबद्धः
पूर्वः दूसरों की संपत्ति,
पश्चिमः 15 फीट चौड़ी गली,
उत्तर : दूसरों की संपत्ति,
दक्षिण : दूसरों की संपत्ति,

दिनांक : 10.02.2023
स्थान : दिल्ली

(हरीश शर्मा)
प्राधिकृत अधिकारी
दी कांगड़ा को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय,
सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखारोड, जनकपुरी, नई दिल्ली–58
फोन नं. 9013568419, 9810487548

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
मोरना नोएडा, बी1–ए/12, सेक्टर
शाखा/कार्यालयः 51, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301

कब्ज़ा की सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

चूंकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54)के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक **मांग सूचना दिनांक 03.09.2022** जारी की जिसमें **कर्जदार श्री अमित चौहान पुत्र श्री वीरेंद्र सिंह और श्रीमती मोनिका पत्नी अमित चौहान को नोटिस में उल्लेख राशि 10–09–2022 की स्थिति के अनुसार रु.9,82,070.80 सहित ब्याज और अतिरिक्त** ब्याज, अन्य खर्चे का पुनर्भुगतान कथित मांग सूचना प्राप्त करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप–अनुच्छेद (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को 09 फरवरी, 2023 को अपने कब्जे में ले लिया है।

कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन बैंक ऑफ बड़ौदा की बकाया राशि 10–09–2022 की स्थिति के अनुसार **रु.9,82,070.80 सहित ब्याज और अतिरिक्त ब्याज,** और उस पर भुगतान की तारीख तक अन्य खर्चे का पुनर्भुगतान करने के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत सम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ब्लॉक–01, सेक्टर –73, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्लैट नं. 3ए, (भूतल), सुपर एरिया 31.00 वर्ग मीटर।
निम्न रूप में परिबद्ध– (मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकः 12–11–2022 के अनुसार)
उत्तर पश्चिम : सीढ़ियां/प्रवेश, दक्षिण **पूर्व :** गली, उत्तर **पूर्व :** फ्लैट सं. 2ए, **दक्षिण पश्चिम :** खुला

दिनांक : 09.02.2023 स्थानः मोरना नोएडा प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Punjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
बी.ओ. जीएचके नगर एम–503 गुरु हरकिशन नगर नई दिल्ली–110087
दूरभाषः 011–25259647 ई–मेल आईडीः d0845@psb.co.in

कब्जा सूचना

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(2002 का 54) के तहत अधोहस्ताक्षरी पंजाब एंड सिंध बैंक बी.ओ. जीएचके नगर (डी0845) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 30.11.2022 को मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता,गारंटरों और कानूनी उत्तराधिकारी श्रीमती विनीता सबरवाल, श्रीमती जसवंती, श्री प्रमोद कुमार, श्री विक्रम और श्रीमती ममता गोठवाल को नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 28,91,011.46/– (रुपये अट्ठाईस लाख इक्यानवे हजार ग्यारह रुपये और छियालीस पैसे मात्र) को रु. 13,88836.00 (शब्दों में तेरह लाख अठासी हजार आठ सौ छत्तीस मात्र) और उस पर भविष्य का ब्याज और अन्य शुल्क उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा है।

उधारकर्ता और गारंटरों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और गारंटरों और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का 09 फरवरी, 2023 को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटरों और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन न करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक को रु.14,06 856.00 (चौदह लाख छह हजार आठ सौ छप्पन रुपये मात्र) और उस पर ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

उप–पंजीयक दिल्ली में पुस्तक संख्या 1 खंड संख्या 4242 में विलेख पंजीकरण संख्या 21230 के माध्यम से फ्लैट नं. 127, ब्लॉक डी, पॉकेट 8, सेक्टर 6 रोहिणी, दिल्ली–85 स्थित संपत्ति के सभी भाग और अंश।

दिनांकः 09.02.2023 अधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली पंजाब एंड सिंध बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation
शाखा : डी–1, भू तल, विवेक विहार
बालाजी हनुमान मंदिर के सम्मुख, दिल्ली 110095
ईमेल आईडी– ubin0905305@unionbankofindia.bank

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि,
अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विवेक विहार शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 05–10–2022 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) नामतः शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, खाता सं.: 560631000822249 को 28–09–2022 को देयराशियों/किस्त/ब्याज का प्रतिभुगतान करने में आपकी चूक के परिणामस्वरूप एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, को 28.09.2022 के अनुसार, रु. 3,72,174.37/– (रुपये तीन लाख बहत्तर हजार एक सौ चवहत्तर एवं सैंतिस पैसे मात्र) और गारंटर वसीम खान, पताः 2842, क्लासिक अपार्टमेंट, चेलेनी स्ट्रीट, दरिया गंज, नई दिल्ली को सूचना में अंकित रु. 3,72,174.37/– (रुपये तीन लाख बहत्तर हजार एक सौ चवहत्तर एवं सैंतिस पैसे मात्र) की एक राशि का इस राशि पर नियत ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

चूंकि उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 07–फरवरी–2023 को, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, उक्त खातों के अंतर्गत रु. 3,72,174.37/– (रुपये तीन लाख बहत्तर हजार एक सौ चवहत्तर एवं सैंतिस पैसे मात्र) की एक राशि और इस राशि पर नियत ब्याज एवं अन्य शुल्कों हेतु यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण :

अचल संपत्ति सं.: ई–17/एफ–5 जो प्रथम तल पर, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली–110095 में स्थित है जिसका क्षेत्राधिमापन 200 वर्ग गज है जो शाहनवाज अहमद सिद्दीकी के नाम पर तथा इस प्रकार परिसीमित है:

पूर्व– भूखंड सं. ई–16 पश्चिम– भूखंड सं. ई–18
उत्तर– सर्विस लेन दक्षिण– सड़क

दिनांक : 13–02–2023, स्थान : दिल्ली **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
मण्डल सस्त्रा केन्द्र, गुरूग्राम (डी नं. 823000)
प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुरूग्राम

कब्जा सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक,** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार **मैसर्स कोड इंक (प्रोप. कमल गांधी), द्वितीय मल, 69, व्हाइट वुड्स, मालिबू टाउन, सोहना रोड, गुरुग्राम, हरियाणा–122001, मैसर्स कोड इंक (प्रोप– कमल गांधी), ऑफिस स्पेस नं. 206, भूतल, गली नं. 7, कापसहेड़ा, नई दिल्ली– 110037, कमल गांधी, भूतल, यूनिट नं. पीएस–19, सहारा मॉल, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री जतिन गांधी (गारंटर), भूतल, यूनिट नं. पीएस–19, सहारा मॉल, गुरुग्राम, हरियाणा, कमल गांधी (गारंटर), यूनिट नं. 302, तृतीय तल, वाटिका ट्रायंगल, ग्राम सिरहौल (वर्तमान में सुशांत लोक) गुरुग्राम, हरियाणा, सरबजीत कौर (गारंटर) प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और चतुर्थ तल, प्लॉट भूमि नं. 31, ब्लॉक–ए, सुशांत लोक–3 गुरुग्राम, हरियाणा, पुनीत औबी (गारंटर) प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल और चतुर्थ तल, प्लॉट भूमि नं. 31, ब्लॉक–ए, सुशांत लोक–3 गुरुग्राम, हरियाणा, सरबजीत कौर (गारंटर) मकान नं. 4पी, प्रथम तल, सेक्टर–30, गुरुग्राम, हरियाणा, पुनीत औबी (गारंटर), मकान नं. एफ–257, द्वितीय तल, शालीमार रेजीडेंसी, सुशांत लोक–3, गुरुग्राम, हरियाणा को मांग नोटिस दिनांक 22.11.2022 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 4,69,02,475.23 (रु. चार करोड़ उनहत्तर लाख दो हजार चार सौ पिचहत्तर और पैसे तेईस मात्र) और दिनांक 31.05.2022 तक और से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित,** उक्त नोटिस/प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **13.02.2023** को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि रू. 4,69,02,475.23 (रु. चार करोड़ उनहत्तर लाख दो हजार चार सौ पिचहत्तर और पैसे तेईस मात्र) और दिनांक 31.05.2022 तक और से भविष्य का ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

सम्पत्ति का विवरण

1. सम्पूर्ण स्टॉक्स, बुक डेब्ट्स का दृष्टिबंधक एवं कर्जदार की अन्य चालू आस्तियां
2. यूनिट नं. पीएस–19, क्षेत्रफल 663.03 वर्ग फीट, भूतल, सहारा मॉल में, एमजी रोड, गुडगाँव, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री जतिन गांधी पुत्र श्री कृष्ण गांधी और श्रीमती कमल गांधी पत्नी श्री जतिन गांधी के नाम पर है। हस्तांतरण/बिक्री विलेख सं. 10848 दिनांक 13.11.2003 द्वारा, चौहद्दी : उत्तर में – पीएस–20, दक्षिण में – पीएस–18, पूरब में – गलियारा और पश्चिम में – दीवार

दिनांक : 13.02.2023, स्थान : गुरूग्राम प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd
(Formerly known as Bajaj Housing Finance Private Limited)
सीआईएन: – U65100DL2008PTC406524
पंजीकृत कार्यालय: – 519, 5वीं मंजिल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज –1, नई दिल्ली –110020
ईमेल आईडी: – customer.care@satyahousing.com ;
संपर्क नंबर 011–44763525

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक नोटिस गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 (आरबीआई निर्देश) और कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य लागू कानून के लागू प्रावधानों के अनुसार सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किया गया है, जिसका सीआईएन U65100DL2008PTC406524 है और यह राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29A के तहत गैर–जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसकी पंजीकरण सं. DOR–00166 है।

यह सूचित किया जाता है कि कंपनी का नाम – "बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" से बदलकर "सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" कर दिया गया है और नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप 10 नवंबर, 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निगमन का एक नया प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

कृपया आगे सूचित हों कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "1, तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान –302006" से "519, 5 वीं मंजिल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज –1, नई दिल्ली –110020" में स्थानांतरित हो चुका है।

कंपनी के सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के किसी भी संदर्भ और संचार के लिए कंपनी के नए नाम और पंजीकृत कार्यालय का उल्लेख करें। कंपनी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.satyahousing.com देखें।

सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए
(जिसे पहले बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

विवेक तिवारी
दिनांक: 13.02.2023 प्रबंध निदेशक
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 02174160

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
TATA
7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई–1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली–110055

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार]

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों से माँग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए कथित अधिनियम के तहत माँग सूचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से निम्नलिखित ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बंधक सम्पत्ति (इसके पश्चात ''प्रतिभूत आस्तियां'' सन्दर्भित) पर सांकेतिक/रचनात्मक कब्जा कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नीचे सन्दर्भित राशि तथा उस पर ब्याज और मांग सूचनाओं की तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

| ऋण खाता सं. | दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराध